न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी : उमर दीन खान,
आई.ए.एस.

प्र0प0 संख्या: 30 / 2020

राजस्थान सरकार जरिये प्रर्वतन अधिकारी, मलसीसर, जिला झुंझुनूं।
— प्रार्थी

ब्नाम

श्री राकेश कुमार पुत्र श्री कन्हैयालाल लुहारूका, वार्ड नं0 9, निवासी सरकार हास्पिटल के पास, मलसीसर, जिला झुंझुनूं
— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनिपयम 1955 के अन्तर्गत जप्तशुदा सामान राजसात करने बाबत।

उपस्थित : —

1. श्री रामावतार, विभागीय प्रतिनिधि — प्रार्थी की ओर से।
2. श्रीमती किरण बियालाल, एडवोकेट — अप्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांक:— 25.01.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विद्वान प्रर्वतन निरीक्षक, मलसीसर की ओर से प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रा0प0 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 05.05.2020 को मुखबीर की सूचना पर मुकेश कुमार राकेश कुमार फर्म थोक व्यापार के गोदाम टमकोर मोड, मलसीसर, तहसील मलसीसर, झुंझुनूं की जांच की। जांच मे राकेश कुमार फर्म मे भागीदार उपस्थित आए व जांच करवाई। राकेश कुमार ने जांच के समय कोई वैध कागजात गोदाम व भण्डारण आदि की सूचना के मांगने पर प्रस्तुत नही किए। Government of Rajasthan, Food and Supplies Department, [illegible] Notification के Scheduleमे शामिल वस्तुओं यथा गेहूं, आटा, चीनी, दाल, च[illegible] आदि का मुकेश कुमार राकेश कुमार फर्म थोक व्यापार टमकोर मो[illegible] पाया जिनका विवरण निम्न प्रकार है:—

1. मूंगदाल सांवरिया— 12 नग, 30 किग्रा भरती प्रति नग,

2. चीनी दाना (कितावी)– 70 नग, 50 किग्रा भरती प्रति नग,
3. बुरा चीनी–25 नग, 50 किग्रा भरती प्रति नग,
4. आटा मंगलम भोग–25 नग, 50 किग्रा भरती प्रति नग,
5. आटा श्री ब्रांड–11 नग, 50 किग्रा भरती प्रति नग,
6. आटा मंगलम भोग–30 नग, 10 किग्रा भरती प्रतिनग,
7. गेहूं सोना सिक्का–10, नग 50 [illegible] भरती प्रति नग,
8. चना दाल श्री ब्रांड–76 [illegible] नग,
9. चावल डबल चाबी–21 नग [illegible] भरती प्रतिनग,
10. फोर्चून तेल सोयाबीन [illegible] किग्रा भरती प्रति नग,
11. मस्टर्ड तेल नेताजी–40 नग, 15 किग्रा भरती प्रति नग,
12. नेताजी सोयाबीन तेल 25 नग, 20 किग्रा भरती प्रति नग

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.02 17:09:46 IST
Reason: SelfAttested

जप्त किया गया व जप्ती की एक प्रति राकेश कुमार को उक्त खाद्य सामग्री मय पैकिंग जप्त किया गया व जप्ती की एक प्रति राकेश कुमार को दी गई। मौके पर उपस्थित आए व्यापार मण्डल मलसीसर के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार महाजन पुत्र श्री किशनलाल वार्ड –18 मलसीसर तहसील मलसीसर, झुंझुनूं को सुरक्षित रखने के लिए सुपुर्द किए व सुपुर्दगीनामा लिखवाया। इस प्रकार Government of Rajasthan, Food and Supplies Department, Date April 09, 2020 Notification के अनुसार मुकेश कुमार राकेश कुमार फर्म थोक व्यापार द्वारा अपने गोदाम की सूचना उक्त आदेश के अनुसार सक्षम अधिकारी को नही दी व अवैध भण्डारण किया जाना पाया जो उक्त नोटिफिकेशन का उल्लघंन है। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जप्तशुदा 1 से 12 जींस को राजसात करने की कृपा करे।

वकील अप्रार्थी ने जबाब नोटिस दिनांक 10.06.2020 पेश कर निवेदन किया कि उक्त नोटिस प्रार्थी को गलत आधार पर दिया गया है। कोविड–19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन कि समस्त व्यवसायी अपने गोदाम में स्टॉक व गोदाम का नक्शा प्रवर्तन निरीक्षक के कार्यालय में प्रस्तुत करेगें की जानकारी प्रार्थी को नही थी तथा ना ही प्रार्थी को उक्त नोटिस में वर्णित सामान को जप्त करने से पूर्व कोई नोटिस इस आशय का नही दिया गया कि वह अपने स्टॉक व गोदाम का नक्शा प्रवर्तन निरीक्षक के यहां प्रस्तुत करे। इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी द्वारा समस्त की गई कार्यवाही पूर्णतया गैरकानूनी है। प्रार्थी एक थोक व्यापारी हैं जो कोविड –19 की वजह से किराणा सामान को स्टॉक किया था कि आस–पास के व्यापारियो को परेशानी का सामना नही करना पड़े तथा लोगो तक किराणा का सामान समय पर पहुंच सके इसमें प्रार्थी की कोई बदनियती नही रही है। प्रार्थी की फर्म रजिस्टर्ड फर्म है तथा प्रार्थी ने जो सामान क्रय किया है उसका सरकार को नियमानुसर जी.एस.टी. का भुगतान किया गया है तथा प्रार्थी द्वारा फर्म का जो टीन नम्बर लिया गया था उसी समय प्रार्थी ने अपने गोदाम का नक्शा भी विभाग के यहां जमा करवा दिया था उसके बावजूद भी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने की नियत से प्रार्थी का सामान गलत रूप से जप्त किया गया है। अतः जबाब नोटिस प्रेषित कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्व की जा रही कार्यवाही को ड्रोप फरमाया

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

जावे तथा प्रार्थी का जप्त शुदा माल प्रार्थी को अतिशीघ्र दिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

बहस सुनी गयी। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि **Government of Rajasthan, Food and Supplies Department, Date April 09, 2020 Notification** के अनुसार मुकेश कुमार राकेश कुमार फर्म थोक व्यापार द्वारा अपने गोदाम की सूचना उक्त आदेश के अनुसार सक्षम अधिकारी को नही दी व अवैध भण्डारण किया जाना पाया जो राज्य सरकार के नोटिफिकेशन का उल्लघंन है। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रा0प0 स्वीकार कर उक्त जप्तशुदा 1 से 12 जींस को राजसात करने की कृपा करे।

विद्वान वकील अप्रार्थी बहस के दौरान विभागीय पैरोकार के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि कोविड–19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन कि समस्त व्यवसायी अपने गोदाम में स्टॉक व गोदाम का नक्शा प्रवर्तन निरीक्षक के कार्यालय में प्रस्तुत करेगें की जानकारी प्रार्थी को नही थी तथा ना ही प्रार्थी को उक्त नोटिस में वर्णित सामान को जप्त करने से पूर्व कोई नोटिस इस आशय का नही दिया गया कि वह अपने स्टॉक व गोदाम का नक्शा प्रवर्तन निरीक्षक के यहां प्रस्तुत करे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थी के विरूद्व की जा रही कार्यवाही को ड्रोप फरमाया जावे तथा प्रार्थी का जप्त शुदा माल प्रार्थी को अतिशीघ्र दिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भी अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य तो साफ है कि अप्रार्थी ने खाद्य सामग्री का भण्डारण किया गया है। जिसकी बाबत अप्रार्थी का तर्क यह है कि खाना खिलाने वालो को देने के लिए सामान मंगवाया था तथा नोटिफिकेशन की जानकारी नहीं थी। यदि अप्रार्थी द्वारा खाना खिलाने वालो को देने के लिए खाद्य सामग्री मंगवाई गई थी तो उसे वितरित करना चाहिए था न कि भण्डारण करना चाहिए था। जहां तक सवाल नोटिफिकेशन की जानकारी नही होना है तो राज्य सरकार के नोटिफिकेशन की जानकारी गजट में होती है तथा सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि कानून एवं नियमों को जानकारी संबंधित पक्षकार को रहे। यही नहीं, नोटिफिकेशन दिनांक 09.04.2020 की मद संख्या 3 में अंकित है कि " **Provided** that an existing wholesaler may declare godowns or place of business for trade articles within 5 days of the commencement of this order. " उक्त अनुसार अप्रार्थी को नोटिफिकेशन जारी होने अन्दर 5 दिवस में गोदाम में स्टॉक व गोदाम का नक्शा प्रवर्तन निरीक्षक को भिजवाई जानी थी। इसके बावजूद अप्रार्थी की जांच प्रवर्तन अधिकारी द्वारा 05.05.2020 को की गई है, लगभग एक माह बाद, इससे साफ जाहिर है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त खाद्य सामग्री का भण्डारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.02 17:09:46 IST
Reason: SelfAttested

गलत नियत से किया गया था। कोरोना महामारी के दौरान जहां राज्य सरकार "कोई भूखा न सोये" जैसे अभियान चला कर नागरिको को खाद्य सामग्री मुहिया करवा रही थी, उस दौरान अप्रार्थी के खाद्य सामग्री को भण्डारित किया जाना सरासर गलत है तथा Govt. of Rajasthan, Food and Supplies Department, Date April 09, 2020 Notification का उल्लंघन है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम निस्तारण किया जाता है। चुंकि जप्त की गई खाद्य सामग्री जल्द खराब होने वाली है ऐसें मे प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है जप्त की गई खाद्य सामग्री को शीघ्र निलाम की कार्यवाही कर निलामी राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अदालत मातहत को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 25.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/01/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.02 17:09:46 IST
Reason: SelfAttested